रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276814
SG-DL-E-06102026-276814

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228

No. 285] DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948 [N. C. T. D. No. 228

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–III) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 सितंबर, 2026

फा. सं. 3/02/हेस्मा/2015/गृह पुलिस–II/ 1956-1966.— जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि दिल्ली परिवहन निगम तथा परिवहन विभाग की क्लस्टर बस योजना की सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है;

और जबकि, डीटीसी और क्लस्टर बस स्कीम के संचालन के लिए तैनात डीटीसी और रियायतग्राही के कर्मचारियों (जिसमे संविदा और आउटसोर्स किये गये कर्मचारी भी शामिल है), ने परिवहन सेवाओं में बाधा डाली है, जिससे आम जनता को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा है

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से भी संतुष्ट हैं कि जनहित में, इन कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.07.93 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 526(ड.) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित

हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के रूप में माना जाए तथा पूर्वोक्त कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आंदोलन को आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप—सचिव (गृह)

HOME (POLICE-III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th September, 2026

F. No. 3/02/HESMA/2015/HP-II/1956-1966.— Whereas, Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services of Delhi Transport Corporation and Cluster Bus Scheme of the Transport Department are an essential transport service of critical importance for the people of the National Capital Territory of Delhi.

And whereas the employees, including contractual & out-sourced, of DTC and concessionaire deployed for operation of DTC/Cluster bus scheme has resorted to disrupt transport services causing inconvenience and hardship to the general public.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by these employees.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby orders that the above said services as essential services and prohibits the strike/agitation by the aforesaid employees for a period of six months from the publication of this notification in official Gazette.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA